

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि० एवं गु०)-21-17/2025 - 162 -

/पटना, दिनांक- 20/07/2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०  
विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:-

सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष -4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 103- ग्राम विकास, उपशीर्ष- 0120- अतिरिक्त सुलभ संपर्कता -सात निश्चय-2 विपत्र कोड-37-4515-00-103-0120 के अन्तर्गत बिहार राज्य के पटना जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 01 (एक) पथ के निर्माण पर योजना प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 103- ग्राम विकास, उपशीर्ष- 0120- अतिरिक्त सुलभ संपर्कता-सात निश्चय-2 विपत्र कोड-37-4515- 00-103-0120 के अन्तर्गत बिहार राज्य के पटना जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 01 (एक) पथ का निर्माण जिसकी कुल लम्बाई 0.640 कि०मी० के निर्माण की राशि ₹ 110.378 लाख (एक करोड़ दस लाख सैतिस हजार आठ सौ रुपया मात्र) है, हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

| क्र० सं० | प्रखंड का नाम | योजना का नाम   | पथ की लम्बाई (कि०मी० में) | प्राक्कलित राशि (लाख में) | तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख में) |
|----------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1        | Punpun        | Punpun station to Akauna gram hote hue Patna ring road ko jodane wali Sahayak road tak | 0.640                     | 110.378                   | 110.378                          |
|          |               | कुल योग  | 0.640                     | 110.378                   | 110.378                          |


1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

4. इस योजना का व्यय सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515- 00-103-0120 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. वित्त विभागीय संकल्प 12888/वि० दिनांक 03.12.2024 की कंडिका सं०-12 के आलोक में जिन मामलों में उद्व्यय अथवा बजट उपबंध नहीं है, वहाँ उद्व्यय के लिए योजना एवं विकास विभाग तथा बजट उपबंध के लिए अलग से वित्त विभाग की स्वीकृति अपेक्षित होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रगति यात्रा में किये गये पथों की उद्घोषणा के क्रियान्वयन हेतु निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त योजना हेतु विपत्र कोड-37-4515- 00-103-0120, वित्तीय शीर्ष 3302 कार्यक्रम का नाम- मुआवजा से 16.50 करोड़ राशि का आंतरिक सामंजन का प्रस्ताव समर्पित है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता-1 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करार्येंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इस योजना की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका संख्या-मु०अ०(नि० एवं गु०नि०)सु०सं०यो०-22-01/2025 के पृष्ठ संख्या-3/टि० पर प्राप्त है।
10. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ०(नि० एवं गु०नि०) सु०सं०यो०-22-01/2025 के पृष्ठ संख्या-04/टि० पर दिनांक-31.01.2025 को प्राप्त है।
11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

विश्वासभाजन

  
(उज्ज्वल कुमार सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि० एवं गु०)-21-17/2025 -762- /पटना, दिनांक- 20/04/2025  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि० एवं गु०)-21-17/2025 -762- /पटना, दिनांक- 20/04/2025  
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि० एवं गु०नि०)सु०सं०यो० -762- /पटना, दिनांक- 20/04/2025  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष सचिव